4 19.20

▪ Impact Factor – 6.625 ▪ Special Issue - 214 (B)
▪ January 2020 ▪ ISSN – 2348-7143

INTERNATIONAL RESEARCH FELLOWS ASSOCIATION'S

RESEARCH JOURNEY

Multidisciplinary International E-Research Journal

PEER REFREED AND INDEXED JOURNAL

हिंदी साहित्य : विविध विमर्श

- कार्यकारी संपादक -
डॉ. जिजाबराव पाटील

- अतिथि संपादक -
डॉ. बी. एन. पाटील

- मुख्य संपादक -
डॉ. धनराज धनगर

Printed By : **PRASHANT PUBLICATIONS, JALGAON**

For Details Visit To : www.researchjourney.net

Scanned with CamScanner

– अनुक्रमणिका –

- 'यमदीप' में चित्रित किन्नर १
  डॉ. अनिल साळुंखे
- प्रेमचंद के उपन्यासों में वेश्या विमर्श ३
  डॉ. अरूण घोगरे
- 'यमदीप' उपन्यास में चित्रित किन्नर विमर्श ५
  डॉ.सुनीता नारायणराव कावळे
- महिला लेखिकाओं का बालसाहित्य में योगदान ७
  प्रा. डॉ. महेश वसंतराव गांगुर्डे
- हिन्दी साहित्य और हाशिए का समाज – मुस्लिम विमर्श ९
  प्राचार्य डॉ. नाना नामदेव गायकवाड
- हिंदी उपन्यासों में चित्रित आदिवासी समाज जीवन १२
  डॉ. योगेश गोकुळ पाटील
- आत्मकथा : गुडिया भीतर गुडिया में चित्रित स्त्री विमर्श १४
  प्रा. डॉ. विजय गजानन गुरव
- 'राजकुमारों के देश में' : आदिवासी जीवन दर्शन की अभिव्यक्ति १७
  डॉ. सुनील गुलाबराव पानपाटील
- नारी अंत:करण की वेदना कहानी संग्रह – 'मैं द्रौपदी नहीं हूँ' २१
  डॉ. अशफ़ाक़ इब्राहिम सिकलगर
- महाश्वेता देवी का उपन्यास 'दौलति' में चित्रित नारी व्यथा २३
  डॉ. अभयकुमार आर. खैरनार
- जल, जंगल, जमीन के केन्द्र में भारतीय आदिवासी २५
  डॉ. प्रमोद गोकुळ पाटील
- समकालीन उपन्यास साहित्य और हाशिए का समाज २७
  प्रा. डॉ. जिजाबराव विश्वासराव पाटील
- हाशिए का समाज और बाल विमर्श ('ईदगाह' और 'छोटा जादूगर' के संदर्भ में) २९
  डॉ. सुनील बापू बनसोडे
- प्रेमचंद के साहित्य में किसान विमर्श : 'सवा सेर गेंहु' ३१
  प्रा. उर्मिला सुभाष पाटील
- सामाजिकता के हाशिए पर पडा किन्नर समाज ३३
  प्रा. डॉ. जगदीश बन्सीलाल चव्हाण
- 'पानी के प्राचीर' में चित्रित कृषक विमर्श ३६
  डॉ. अनिल काळे
- महिला उपन्यासकारों के उपन्यासों में स्त्री–विमर्श ३८
  डॉ. आशा डी. कांबळे
- उपन्यास हम यहाँ थे – जीवन संघर्ष, प्रतिरोध और समर्पण भाव की अभिव्यक्ति ४०
  सह. प्रा. डॉ. महेंद्रकुमार रा. वाढे
- ज्ञानप्रकाश विवेक द्वारा लिखित धूप के हस्ताक्षर ग़ज़ल–संग्रह में व्यक्त सांस्कृतिक विमर्श ४२
  श्री. अनिल बाबुलाल सूर्यवंशी
- 'अंतर्वशी' उपन्यास में संघर्ष एवं मोहभंग को भोगती नारियाँ ४४
  प्रा. डॉ. कृष्णा पी. पाटील

Scanned with CamScanner

RESEARCH JOURNEY International Multidisciplinary E-Research Journal ISSN : 2348-7143
Impact Factor (SJIF) - 6.625 | Special Issue 214 (B) : हिंदी साहित्य : विविध विमर्श Jan. 2020

महिला लेखिकाओं का बालसाहित्य में योगदान

प्रा. डॉ. महेश वसंतराव गांगुर्डे
हिन्दी विभागप्रमुख
कला, वाणिज्य महाविद्यालय, अक्कलकुवा

बच्चे का मन समझने के लिए माँ का हृदय होना जरूरी है। माँ और बच्चे का रिश्ता दुनिया में सबसे अनमोल होता है। बच्चे के विकास में माँ का सर्वाधिक योगदान होता है। औरत कई रूपों में अपने मातृत्व की झलक समाज में बिखेरती है, जैसे माँ, बहन, दादी, मौसी, बुआ आदि। माँ या दादी को लोरियाँ बच्चों को बहुत भाँति हैं। ठीक उसी तरह हिंदी बाल साहित्य में भी सभी विधाओं में बाल कविता सबसे समृद्ध और विकासशील है। बाल कविताएँ सिर्फ मनोरंजनात्मक नहीं होती बल्कि उपदेशात्मक और अनुकरणीय भी होती है। वर्तमान समय में हिंदी साहित्य में कई बाल साहित्यकार है पर महिला बालसाहित्यकारों को योगदान अधिक हैं। श्री निरंकारदेव सेवक ने पाश्चात्य एवं भारतीय माँ की तुलना करते हुए लिखा है कि, ''भारतीय माता अपने बच्चे के लिए त्याग, तप करने में अंग्रेज माता से अधिक बढ-चढकर होती है। फूहड से फूहड भारतीय माँ शीत की कठिन रात में बच्चे द्वारा बिस्तर पर मूत्र त्याग कर देने पर सहर्ष बच्चे को सूखे भाग में सुलाकर स्वयं गीले में पडे रहना पसंद कर लेती है, पर अंग्रेज माताओं में त्याग की ऐसी भावना नहीं होती। इन्हीं सब कारणों से अपने बच्चे के प्रति अंग्रेज माताओं की अपेक्षा भारतीय माँ का संबंध अधिक ममतापूर्ण और मधुर होता है।''[१]

हिंदी बाल साहित्य में हिंदी महिला लेखिकाओं को योगदान बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं। विभिन्न महिला लेखिकाओं ने अपने काव्य के माध्यम से बच्चों का मनोविज्ञान व्यक्त किया है।

श्रीमती सुभद्राकुमारी चौहान :-

श्रीमती सुभद्राकुमारी चौहान राष्ट्रीय चेतना की सजग कवयित्री रही है। आप बाल मनोविज्ञान को भी भली-भाँति समझनेवाली कवयित्री है। बच्चों की दैनिक गतिविधियों को चित्रण आपने अपने बचपन को याद करके लिखा है। आपकी कविताओं में आपके मातृत्व की झलक भी देखने को मिलती है। आप अपनी कविताओं के माध्यम से बच्चों में राष्ट्रीय भावना का संचार करती हुई नजर आती है। आपकी 'सभा का खेल' पुस्तक की पहली ही कविता जिसका शीर्षक भी 'सभा का खेल' है उसमें आप राष्ट्रीय भावना का संचार करती हुई लिखती है कि,

''सभा-सभा का खेल आज हम, खेलेंगे जीजी आओ
मैं गांधी जी छोटे नेहरू, तुम सरोजिनी बन जाओ,
मोहन लल्ली पुलीस बनेंगे, हम भाषण करने वाले
वे लाठिया चलाने वाले, हम घायल मरने वाले,
छोटे बोला देखो भैया, मैं तो मार न खाऊंगा
कहा बडे ने छोटे जब तुम, नेहरू जी बन जाओगे
गांधी जी की बात मानकर, क्या तुम मार न खाओगे।'' [२]

कविता में खेल-खेल की भावना से बच्चों में राष्ट्रीयता का संचार करना आपके काव्य की विशेषता है। साथ ही आपके काव्य के माध्यम से राष्ट्र के प्रमुख व्यक्तियों का आसान परिचय भी हो जाता है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित नेहरू तथा सरोजिनी नायडू जी का परिचय बच्चों को खेल भावना में मिलता है तथा साथ ही उनकी स्वभावगत विशेषता की पहचान भी होती है।

श्रीमती शांति अग्रवाल :-

श्रीमती शांति अग्रवाल का बाल-साहित्य बच्चों की मानसिकता का सटीक चित्रण करता है। आपकी 'बालवीणा' और 'बाल-सौरभ' नामक दो बाल कविता के दो किताबें भी प्रकाशित हुई है। आपकी भाषा में सरलता और मधुरता है, आपने बच्चों की अनुभूतियों को अपनी कविताओं के माध्यम से अभिव्यक्त किया है -

''छोटा-सा मेरा लाला रोज मचाता गडबड झाला,
तोड-फोडकर खेल फेंकता, पानी में भी खूब खेलता।
काम नहीं कुछ करने देता, साथ-साथ है फिरता रहता,
तब मैं गुस्सा हो जाती हूँ उससे चट यह कह देती हूँ।
तेरी अम्मा नहीं बनूँगी, खेल मिठाई तुझे न दूँगी।।'' [३]

श्रीमती शांति अग्रवाल ने बहुत ही सटीक वर्णन माँ और बच्चे का किया है। बच्चा जब शैतानी करता है और माँ जब थक जाती है तो माँ झूठाझूठा गुस्सा दिखाकर बच्चे को कहती है कि, मैं अब तुझे खाना नहीं दूँगी। तो बच्चा अपनी माँ का गुस्सा देखकर जो बात कहता है, वह बात शांति अग्रवाल ने काव्यात्मक ढंग से अभिव्यक्त की है -

''तब कहता वह अम्मा रानी, अब न करूँगा मैं शैतानी
कभी तुम्हें अब दिक न करूँगा, कहा तुम्हारा मैं मानूँगा
'राजा बेटा' कह दो अम्मा, प्यार मुझे अब कर लो अम्मा।'' [४]

बाल साहित्य के खजाने को भरने में शांति अग्रवाल ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

सुशीला कक्कड :-

सुशीला कक्कड एक प्रतिभावान महिला साहित्यकार है। आपका बाल साहित्य हिंदी साहित्य में महत्त्वपूर्ण माना जाता है। आपके बाल साहित्य में बच्चों के मनोरंजन के साथ-साथ राष्ट्रप्रेम की भावना को जागृत करना, बच्चों पर अच्छे संस्कार करना, बडो का आदर-सम्मान करना, जात-पात ना मानना, विश्वबंधूत्व की भावना का विकास आदि बातों पर अधिक ध्यान दिया हुआ दिखाई देता है। बच्चे आज्ञाकारी एवं विनयशील कैसे बने इन बातों पर भी आपका ध्यान है।

''प्रभो दो ऐसी शक्ति महान
निर्धन धनी सबल औ निर्बल, ज्ञानवान, अज्ञान
भेद न मानूँ कभी किसी में, सब हों एक समान
झूठे जाति-पाँत का जग में रहे न नाम-निशान

एक पिता और एक राष्ट्र की हों हम सब संतान।'' ५

शकुंतला सिरोठिया :-

शकुंतला सिरोठिया के काव्य में बालमनोवैज्ञानिकता की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। आपने बच्चों के लिए बहुत ही मधुर गीत लिखे है। एक परिवार में भाई और बहन किस तरह एक गुडिया को लेकर झगडा करते है इसका चित्रण बहुत ही सुंदर तरीके से किया है।

''अम्मा मुन्ना नहीं मानता, मेरी गुडिया लेता है
अपनी गेंद छिपा देता है, मुझसे बहुत झगडता है।'' ६

बहन अपनी माँ से भाई की शिकायत करती है तो भाई भोलेपन से जो बात कहता है वह उन्ही के शब्दों में -

''अम्मा तेरी मुन्नी मेरी रोज शिकायत करती है
मैं गुडिया से ब्याह करूँगा, यह क्यों नही समझती हैं।'' ७

बचपन में गुड्डे-गुड्डियों को खेल बहुत ही मजेदार होता है। उनकी शादी रचाई जाती है और बच्चे सच्ची शादी की तरह उन्हें सँजाते है। यहाँ पर छोटा बालक उसी गुडिया से शादी करने की बात करता है। बच्चे दिल के बडे ही नेक और साफ होते है।

इंदिरा परमार :-

इंदिरा परमार हिंदी साहित्य जगत में बाल साहित्य के कारण अधिक चर्चित है। आपकी कविताएँ बच्चों को बहुत पंसद आती है। आपने बहुत ही असरदार और सधी हुई बाल कविताएँ बाल साहित्य जगत को दी है। आपकी 'चूहेराम' कविता बहुत ही चर्चा में रही थी।

''बिल से अभी-अभी निकले देखो नटखट चूहेराम
बिना बात के इधर-उधर भागे झटपट चूहेराम
चुप न कभी रह पाते हैं, करते खटपट चूहेराम
बडे-बडे गोदामों तक पहुँचे अटपट चूहेराम।'' ८

बहुत ही सुंदर तरीके से चूहेराम कविता के माध्यम से चूहे की गतिविधियों का वर्णन प्रस्तुत कविता में हुआ है।

इन कवयित्रियों के साथ-साथ कई बाल कवयित्रियाँ है जिनका हिंदी बाल साहित्य में महत्त्वपूर्ण योगदान हैं, जिनमें श्रीमती गोपालदेवी, श्रीमती तारा पांडे, शकुंतला मिश्र, विद्यावती कोकिल, शांति मेहरोत्रा, सुमित्राकुमारी सिन्हा, महादेवी वर्मा, पद्मा चौगांवकर, सरोजिनी कुलश्रेष्ठ, सरोजिनी अग्रवाल, मधु भारतीय, कामिनी दीदी, शीला गुजराल, शुभा वर्मा, सुधा चौहान, प्रभाकिरण जैन, कुसुम अग्रवाल एवं कृष्णा सोबती आदि।

निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि, बालसाहित्य की परंपरा में महिला साहित्यकारों का बहुत बडा योगदान है। महिला लेखिकाओं ने बाल मनोविज्ञान की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण काव्य-संग्रह लिखे है। माँ की ममता का सटीक चित्रण एक माँ ही कर सकती है। महिला लेखिकाओं के बाल साहित्य में मनोरंजन के साथ-साथ संस्कारों की भरमार भी है, हास्य के साथ-साथ जीवन का सार भी है, राष्ट्रीयता और देशप्रेम भी है। महिला साहित्यकारों ने अपने साहित्य के माध्यम से बालसाहित्य को नई ऊँचाईयाँ प्रदान की हैं।

संदर्भ सूची :

१. डॉ. हरिकृष्ण देवसरे, हिंदी बालसाहित्य : एक अध्ययन - पृ. २११
२. श्रीमती सुभद्राकुमारी चौहान, सभा का खेल (सभा का खेल), पृ. ०६
३. श्रीमती शांति अग्रवाल, बालवीणा - पृ. १२
४. वही पृ. १२
५. डॉ. हरिकृष्ण देवसरे, हिंदी बालसाहित्य : एक अध्ययन - पृ. २१५
६. वही पृ. २१७
७. वही पृ. २१७
८. इंदिरा परमार, चूहेराम - ..

Scanned with CamScanner

Volume 10 (Special Issue 4)
January, 2020

19-20

ISSN - 2230 - 9578

Journal of Research and Development

A Multidisciplinary International Level Refereed Journal

COSMOS IMPACT FACTOR

4.270

२६ जानेवारी २०२०

भारतीय प्रजासत्ताक दिनानिमित्त...

संशोधन पद्धती

Research Methodology

Editor : Dr. R.V. Bhole

'Ravichandram' Survey No-101/1, Plot No-23, Mundada Nagar, Jalgaon (M.S.) 425102

Email - info@jrdrb.com Visit - www.jrdrvb.com

Scanned with CamScanner

41	Prof. Dr. J. B. Bagul	Literary Review and its importance in Writing a Paper or Dissertation	137-139
42	Dr. Vinod Hirasing Raghuvanshi	Systematic Steps of Scientific Research	140-143
43	प्रा. सुनिता संतोष पवार	संशोधन अहवाल	144-145
44	प्रा.डॉ. के.बी. गिरासे	संशोधनात संदर्भसुची देण्याच्या पद्धतीचे अध्ययन	146-149
45	आशिष गुलाबसिंग वसावे प्राचार्य डॉ. संजय एस. शिंदे	संशोधनाची उद्दिष्टे व महत्व	150-153
46	डॉ. राजेंद्र बाविस्कर	"वैज्ञानिक अनुसन्धान की पद्धतियाँ"	154-157
47	प्रा. विलास वसंतराव पाटील	नमुना निवडीचे तंत्र व प्रकार	158-161
48	श्री. विरेंद्र मुरलीधर घरडे	संशोधनाची मुलतत्त्वे (विशेष संदर्भ- सामाजिकशास्त्रे संशोधन)	162-165
49	डॉ.सनेर वाय. एच. विद्यामाई एस. बाविस्कर (बोरसे)	डी.एल.एड्. छात्राध्यापकांच्या अभिव्यक्ती व नेतृत्वगुण यांच्यातील सहसंबंधाचा अभ्यास	166-168
50	प्रा. मंगला डी.बन्सोड	संशोधन कार्यामध्ये गृहितकाचे महत्व	169-172
51	डॉ. नागसेन नामदेव मेश्राम	संशोधनाचे बदलते स्वरुप कालचे व आजचे	173-175
52	प्रा.डॉ.सौ. विजया विठ्ठल बाविस्कर	शैक्षणिक संशोधनात गुणवत्तावाढीसाठी उपाययोजना	176-178
53	डॉ. राहुल पुरुषोत्तम मेघे	"संशोधनाचे स्वरूप, व्याप्ती व टप्पे"	179-182
54	प्रा.डॉ. देविदासस विक्रम हारगिले	संशोधन आराखड्याची आवश्यकता आणि अंतर्भूत घटक	183-184
55	प्रा.डॉ. अश्विनी अविनाश खापरे	महात्मा गांधींच्या विचारातील स्वातंत्र्याची साधने मानवी मुक्तीचे साधन-अहिंसा आणि सत्याग्रह	185-186
56	डॉ. कविता साळुंके कु. ज्योती रामचंद्र लष्करी	संशोधन कार्यात आशय विश्लेषणातील संकल्पनात्मक विश्लेषणाचे महत्त्व	187-192
57	प्रा.डॉ.योगेश जगन्नाथ कोरडे	संशोधनात संगणकाचे महत्त्व	193-196
58	प्रा. डॉ. दीपक सु. धारवाडकर दलित सुभाषराव कांबळे	संशोधकांना भेडसावणाऱ्या अडचणी : एक अभ्यास	197-198
59	प्रा. प्रेमलाल नुरा नाईक	"संशोधन आराखडा"	199-201
60	प्रा.डॉ. सुनिल व्ही. कुवर	"संशोधनातील मुलाखतीचे फायदे व तोटे"	202-204
61	डॉ. महेश व्ही. गांगुर्डे	अनुसन्धान में तथ्य सामग्री के स्त्रोतों के महत्त्व एवं प्रकार	205-209

अनुसन्धान में तथ्य सामग्री के स्त्रोतों के महत्त्व एवं प्रकार

डॉ. महेश व्ही. गांगुर्डे (हिन्दी विभाग प्रमुख)
विद्या विकास मंडळाचे कला व वाणिज्य महाविद्यालय, अक्कलकुवा जि. नंदुरबार

- **प्रस्तावना -**

किसी भी शोध या अनुसंधान में तथ्य-सामग्री के महत्व को कम करके नहीं आँका जा सकता। तथ्य सामग्री अनुसंधान के अन्तरंग का भाग है। लेकिन साथ ही वे स्त्रोत भी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं जहाँ से कि एक अनुसंधानकर्ता समंस्या के विश्वसनीय अध्ययन के लिए सूचना सगृहीत करता है। तथ्य सामग्री की विश्वसनीयता विश्वसनीय स्त्रोतों पर निर्भर है, जो कि अनुसंधानकर्ता के बोझ को महत्वपूर्ण रूप से हल्का कर देते हैं। अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान में तथ्य-सामग्री को आधार मानकर चलता है। तथ्य-सामग्री के अभाव में वह अनुसंधान कार्य संचलित नहीं कर सकता। केवल कल्पनाओं और आदर्शों को सामने रखकर वह विश्वसनीय, वैज्ञानिक एवं तार्किक परिणामों को प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक तथ्य-सामग्री उसे उपलब्ध नहीं होगी, वह न तो उनका विश्लेषण कर सकता है और न ही अपने अध्ययन-विषय का उपयोग । आधुनिक युग में जब सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में अनुसंधान की प्रकृती काफी वैज्ञानिक एवं उससे सम्बन्धित साधन भी तकनीकी प्रकृती के होते जा रहे है, तथ्य- सामग्री का स्वरूप भी उनके अनुकूल होता जा रहा है। अनुसंधान की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि तथ्य-सामग्री के स्त्रोत विश्वसनीय हैं या नहीं। विश्वसनीय स्त्रोतों के अभाव में तथ्य-सामग्री के संकलन में भी दोष प्रवेश कर जाते हैं।

- **तथ्य सामग्री के प्रकार -**

अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान कार्य शुरू करने से पूर्व, तथ्य- सामग्री के भेद तथा स्त्रोतो के विभिन्न प्रकारों का ज्ञान होना अनिवार्य है। सामाजिक अनुसंधान में तथ्यो के विभिन्न प्रकार एवं उनके विविध स्त्रोत है। जिस तथ्य-सामग्री का अनुसंधान में विशेष महत्व है, उन्हे दो भागो में विभाजित किया जाता है। प्राथमिक तथ्य-सामग्री और द्वैतीयक तथ्य-सामग्री।

1) प्राथमिक तथ्य-सामग्री - प्राथमिक सामग्री उसे कहते है जिसके अन्तर्गत अनुसंधानकर्ता स्वयं घटना-स्थल पर जाकर या सम्बन्धित व्यक्तियों से साक्षात्कार, प्रश्नावली और अनुसूची द्वारा आँकडे प्राप्त करता है। इसे प्राथमिक इसलीए कहा गया है कि अनुसंधानकर्ता पहली बार सामग्री को मूल स्त्रोतों से प्राप्त करता है। इस सामग्री को क्षेत्रीय सामग्री की भी संज्ञा दी जाती है। क्योंकी अध्ययनकर्ता स्वयं उस क्षेत्र मे जाकर निरिक्षण करता है और सम्बन्धित लोगो से सम्पर्क स्थापित करता है। प्राथमिक तथ्य-सामग्री को एकत्रित करने के दो स्त्रोत है -

1) समस्या से सम्बन्धित व्यक्ति - ये व्यक्ति न केवल भूत की बातों का ज्ञान करवाते है बल्कि अपने अनुभव के आधार पर उन घटनाओं का भविष्य भी बता सकते हैं। ये सम्बन्धित व्यक्ति व्यवसायी, समाजसेवी तथा सामुदायिक नेता हो सकते हैं।

2) प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा - अनुसंधानकर्ता स्वयं किसी समूह या संगठन के सम्बन्ध में तथ्यों का निरीक्षण कर उन्हे एकत्र करता है।

2) द्वैतीयक तथ्य-सामग्री - द्वैतीयक तथ्य-सामग्री भी कम महत्व की नहीं होती। ये वे आँकडे हैं जो अध्ययनकर्ता प्रकाशित या अप्रकाशित प्रलेखो, पत्र, डायरी, पाण्डुलिपि आदि से प्राप्त करता है। द्वैतीयक तथ्य सामग्री वह है जिसे मौलिक स्त्रोतों से एक बार प्राप्त करने के बाद एकत्र किया गया है तथा जिसका प्रकाशित अधिकारी उनसे सलग है जिसने प्रथम स्तर पर सामग्री इकट्ठी करने को नियन्त्रित किया था। द्वैतीयक तथ्य-सामग्री के दो मुख्य स्त्रोत है -

1) व्यक्तिगत प्रलेख - जिस में व्यक्तिगत डायरियाँ, पत्रों तथा संस्मरणों को सम्मिलित किया जाता है।

2) सार्वजनिक प्रलेख - जिन में पुस्तके, रिपोर्ट रिकार्ड, शिलालेख आदि सम्मिलित किए जाते हैं।

- **तथ्य-सामग्री के स्त्रोत -**

तथ्य-सामग्री को एकत्र करने के लिए अनेक स्त्रोतों को काम में लाया जाता हैं। यह अनुसंधानकर्ता स्वयं पर निर्भर करता है कि वह किन-किन स्त्रोतों से अपने अध्ययन से सम्बन्धित तथ्य-सामग्री को एकत्र करना चाहता है। अंतः अनुसंधान की आवश्यकता पर निर्भर करता है कि कौन-कौन से स्त्रोत आवश्यक है या अनावश्यक, संगत है या असंगत। उसे इस बात

Scanned with CamScanner

पर ध्यान अवश्य देना चाहिए कि सामग्री स्त्रोत विश्वसनीय तथा सुलभ हो ताकि वह अंधेरे में न भटकता रहे। विभिन्न विद्वानो, और लेखको ने तथ्य-सामग्री के इन स्त्रोतों को दो भागों में विभाजित किया है। 1) प्राथमिक स्त्रोत, जिनके अन्तर्गत समस्या से सम्बन्धित व्यक्ति तथा निरीक्षण आते हैं। 2) द्वैतीयक स्त्रोत, जिनके अन्तर्गत सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानो, प्रकाशित या अप्रकाशित प्रलेखो आदि को सम्मिलित किया जाता हैं। स्पष्ट है कि तथ्य-सामग्री के प्रमुख स्त्रोत दो ही हैं - प्राथमिक एवं द्वैतीयक। इनका विस्तृत विवेचन निम्नानुसार किया गया है।

प्राथमिक स्त्रोत - प्राथमिक स्त्रोत उन स्त्रोतो को कहते हैं जिनसे अनुसंधानकर्ता स्वयं प्रथम बार तथ्यों अथवा विभिन्न विविध सूचनाओ को संकलित करता है। वह इन तथ्यो को अपनी आवश्यकतानुसार एकत्र करता हैं। तथ्यों के एकत्र करने में उसका व्यक्तिगत लगाव भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता हैं। जिस सम्बन्ध में तथ्यों को सकंलन करना हैं उनका भली-भाँति निरीक्षण करके वह व्यर्थ को छोड, उपयोगी सामग्री को प्राप्त करने की कोशिश करता है। प्राथमिक स्त्रोतो के प्रकार निम्नानुसार - श्रीमती यंग के अनुसार प्राथमिक स्त्रोतो में जिनको सम्मिलित किया जाता है, वे हैं - प्रत्यक्ष निरीक्षण, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली तथा अन्य व्यक्ति। हम अपनी सुविधा की दृष्टि से इनके दो भाग कर सकते हैं - 1) प्रत्यक्ष स्त्रोत तथा 2) अप्रत्यक्ष स्त्रोत।

1) प्रत्यक्ष स्त्रोत - अनुसंधानकर्ता स्वयं अध्ययन-स्थल पर जाकर अपनी समस्या से सम्बन्धित घटनाओ तथा व्यवहारों का निरीक्षण करता हैं। वह समुदाय के विभिन्न लोगो से सम्पर्क स्थापित कर उनसे सामग्री प्राप्त करता है। वह घटनास्थल का स्वयं की आँखो से निरीक्षण करता है। वह सामाजिक घटनाओं और कार्यक्रमों में स्वयं कहाँ तक भाग ले सकता है या केवल दर्शक के रूप में बना रहता हैं, यह अवलोकन के विभिन्न प्रकारो पर निर्भर करता हैं। निरीक्षण को हम निम्नलिखित प्रकारो मे बाँट सकते हैं

i) सहभागी निरीक्षण - इसमे निरीक्षणकर्ता समूह में अपनत्व का अनुभव करता है। उसकी भावनाएँ और दृष्टिकोन, समूह की भावनाओं और दृष्टिकोन से मिल जाते हैं। इसका लाभ यह हैं कि वह समूह के रीती-रिवाजों, व्यवहारों को बहुत नजदीक से समझ पाता है। वह केवल मात्र दर्शक ही नहीं रहता बल्कि एक सक्रिय निरीक्षणकर्ता बन जाता है। समुदाय के लोगो को पता ही नहीं चलता कि निरीक्षणकर्ता उनके व्यवहार, रीती, रिवाजो का अध्ययन कर रहा है। अंतः उसके अध्ययन में उन लोगो के स्वाभाविक व्यवहार के कारण पक्षपात-दोष नहीं आ सकता।

ii) असहभागी निरीक्षण - इसके अन्तर्गंत, अनुसंधानकर्ता स्वयं सक्रिय भाग न लेकर तटस्थ भाव से कार्यक्रमो का निरीक्षण करता है। वह समूह के कार्यक्रमो, व्यवहारो से पृथक रह कर ही निरीक्षण करता हैं।

iii) अर्द्ध-सहभागी निरीक्षण - इस प्रकार के निरीक्षण में सहभागी और असहभागी दोनों निरीक्षणो के गुण पाएँ जाते हैं। इसमें अनुसंधानकर्ता कुछ कार्यों मे भाग लेता हैं, परन्तु अनेक कार्यों में तटस्थ निरीक्षणकर्ता के रूप में समूह का अध्ययन करता है।

उपर्युक्त निरीक्षण के प्रकारो पर ध्यान देने से पता चलता हैं कि अनुसंधान-कर्ता, जो सामग्री प्राप्त करता हैं उसमें पक्षपात या मिथ्या झुकाव की गुंजाइश कम रहती हैं।

प्रत्यक्ष स्त्रोते में निरीक्षण के अलावा, अनुसंधानकर्ता कभी-कभी समस्याओं के बारे में जानकारी समुदाय के लोगो से सीधी बातचीत के द्वारा भी प्राप्त करता है। इसके दो तरीके अपनाए जाते हैं क) साक्षात्कार, ख) अनुसूचियाँ ।

क) साक्षात्कार - प्राथमिक सूचना प्राप्त करने का यह प्रमुख स्त्रोत है। इसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं स्थानीक लोगो सें सम्पर्क स्थापित करके बातचीत द्वारा सम्बन्धित तथ्यो को प्राप्त करता हैं चूँकि स्थानीक लोगों का स्थानीय समस्याओं से घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है तथा उनसे सम्बन्धित अन्य स्त्रोतो का भी ज्ञान होता है। अंतः उनसे निजी स्तर पर वार्तालाप द्वारा विश्वसनीय और लाभप्रद सामग्री प्राप्त की जा सकती हैं। यदि किसी ऐतिहासिक स्थल के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो, अनुसंधानकर्ता बुजुर्गो, स्थानिय जानकारो, सम्बन्धित पुजारियो तथा मठाधीशों से साक्षात्कार द्वारा प्रथम स्तर की जानकारी प्राप्त कर सकता है। अनुसंधानकर्ता को यह ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि यदि व्यक्ति साक्षात्कार स्वीकार करने में मना करता हैं तो उस पर इस सम्बन्ध में दबाव नहीं डालना चाहिएँ क्योंकि वह बिना दिलचस्पी के परेशान होकर विश्वसनीय और संगतपूर्ण जानकारी नहीं देगा। अंतः स्थान, परिस्थितियाँ, समुदाय के लोगो की प्रकृति आदि को ध्यान में रखते हुए उसे इस पद्धति को अपनाना चाहिए।

ख) अनुसूचियाँ - अनुसूची में प्रश्न तथा खाली सारणियाँ दी हुई होती हैं। अनुसंधानकर्ता स्वयं सूचनादाताओं के पास जाकर उनसे प्रश्न पूछ कर उत्तर इन अनुसूचियों में भर देता हैं। अनुसूची का उद्देश्य, सूचनादाताओं से उत्तर पाकर, अनुसंधान में वैयक्तिकता लाना हैं। यह पद्धती बडी ही लाभप्रद और उपयोगी हैं। इसमें प्रश्नों के लिखित रूप में होने के कारण अनुसंधानकर्ता को अनावश्यक रूप से इन्हे याद नहीं करता पडता अन्यथा वह कुछ प्रश्नो के उत्तर प्राप्त करना भूल भी सकता है। साक्षात्कार की विधी बडी जटिल-सी लगती हैं। उत्तरदाता प्रत्यक्ष रूप सें प्रभावित हो जाता हैं। इस प्रकार के दोष अनुसूची पद्धती में नही पाए जाते हैं। अनूसूचियों से प्राप्त सूचना निष्पक्ष होने के कारण बडी उपयोगी रहती है। यह स्त्रोत तभी लाभप्रद हो सकता हैं जब अध्ययन क्षेत्र बहुत विस्तृत न हो। इस स्त्रोत द्वारा अनुसंधानकर्ताओं ने बडी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की है। यह स्त्रोत काफी लोकप्रिय होता जा रहा है। इसके द्वारा अशिक्षित लोगो से भी सूचना प्राप्त करने में कठिनाई नहीं रहती। स्थानीय भापा के कारण थोडी कठिनाई आ सकती हैं जिसका निवारण वहाँ स्थानीय पढे-लिखे लोगों के द्वारा किया जा सकता है।

2) अप्रत्यक्ष स्त्रोत - इसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं प्रत्यक्ष रूप सें उत्तरदाताओं से सम्पर्क स्थापित नहीं कर पाता। अप्रत्यक्ष स्त्रोत में मुख्यतः प्रश्नावलियाँ को तथा अति गोपनीय मामले जैसे मत पत्रों को सम्मिलित किया जाता हैं।

i) प्रश्नावली - अनुसंधानकर्ता विषय सें सम्बन्धित जानकारी प्रश्नावली द्वारा आसानी से प्राप्त कर सकता हैं। जब अनुसंधान का क्षेत्र व्यापक होता हैं अथवा सूचनादाता दूर-दूर बिखरे होते हैं, तो प्रश्नो की एक सूची डाक द्वारा उसके पास पहुँचा दी जाती हैं। सूचनादाता उस प्रश्नावली को भरकर अभीष्ट जानकारी अनुसंधानकर्ता को देता हैं। यह विधी उन अनुसंधानो में तो और भी लाभप्रद है, जहाँ सूचना को बार-बार प्राप्त करना होता है। प्रश्नावली द्वारा प्राप्त सूचना में डाकखर्च तथा पहली बार की गई छपाई के अलावा अधिक व्यय भी नहीं होता। यह स्त्रोत तभी लाभप्रद हो सकता हैं जबकि उत्तरदाता पढे-लिखें हो और उनमें सहयोग की भावना हो, अन्यथा प्रश्नो के जवाब उनसे न तो दिए जा सकेंगे और न समय पर प्रश्नो कें उत्तर ही मील पाएँगे । इसका प्रयोग गंम्भीर महत्वपूर्ण अनुसंधान में नही किया जाता क्योंकि प्रश्नालियों द्वारा सूचना भ्रमपूर्ण एवं असत्य हो सकती हैं।

ii) दूरभाष साक्षात्कार - इसके अन्तर्गत, अनुसंधानकर्ता दूरभाष के माध्यम से उतरदाताओं से सम्बन्ध स्थापित कर सामग्री प्राप्त करता हैं। यह विधि बडे-बडे शहरो में अनुसंधानकर्ता अपनाता हैं, जहाँ समय का प्रभाव हैं। इसमें न केवल समय की बचत होती है वल्कि कई कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। जैसे प्रायः साक्षात्कार स्वीकृत करने में लोग हिचकिचाते हैं तथा अनुसंधानकर्ता स्वयं भी आमने-सामने साक्षात्कार में रूक जाता हैं। यही विधि जहाँ आँकडे प्राप्त करने हो, अनुपयुक्त रहती हैं।

iii) रेडियो अपील - रेडियो सूचना प्रसारण का एक अच्छा साधन हैं। रेडियो द्वारा कई प्रकार के प्रोग्राम समय-समय पर प्रसारित किए जाते हैं जो श्रोताओं एवं दिलचस्पी लेने वाले विभिन्न व्यवसायो को आकर्षित करते हैं। इससे रेडियो श्रोता, अध्ययनकर्ता को सम्बन्धित जानकारी दे सकते हैं। परन्तु यह स्त्रोत विश्वसनीय नहीं है, क्योकि श्रोता जो अपनी राय पत्रो द्वारा भेजते हैं, उसमे कई अनर्गल बातें भी होती हैं।

iv) पेनल पद्धती - इस पद्धती कें अन्तर्गत कुछ लोगो का पेनल (दल) बना दिया जाता हैं जो अनुसंधानकर्ता को जनता के रूख, रूचि एवं वैचारिक भावनाओ की सूचना-सामग्री प्रदान करते है। यह स्त्रोत काफी विश्वसनीय है। इसका दोष यह है कि पेनल मे कार्य करने वाले सदस्यो में मनमुटाव एवं वैमनस्य की भावना बढती हैं, जिससे वे एक दुसरे की निंदा करते हैं, आरोप-प्रत्यारोप लगाते हैं। इसका कुप्रभाव अनुसंधानकर्ता पर पडता हैं और उसे निष्पक्ष जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती।

द्वैतीयक स्त्रोत - 'द्वैतीयक स्त्रोत' शब्द से ऐसा प्रतीत होता है कि इसका अधिक महत्व नहीं है। अनुसंधानकर्ता केवल प्राथमिक स्त्रोतो पर ही अपने अनुसंधान की सामग्री के लिए निर्भर नहीं रह सकता। द्वैतीयक स्त्रोत भी उसे मूल्यवान, महत्वपूर्ण एवं आवश्यक सामग्री प्रदान करते हैं तथा उसके अनुसंधान के घटे हुए या अधुरे कार्य को पूरा करने में सहायक हैं। द्वैतीयक स्त्रोत वे स्त्रोत हैं जिनमे प्रकाशित या अप्रकशित प्रलेख या समस्त लिखित सामग्री सम्मिलित हैं। प्राचिन युग में प्राथमिक स्त्रोतो का ही अविक प्रचलन था। अनुसंधानकर्ता इसको ही महत्वपूर्ण एवं प्राथमिक मानकर चलता था, परन्तु अब द्वैतीयक स्त्रोतो की जैसे-जैसे उसको जानकारी मिलती रहती है, वह अपनी अनुसंधान सामग्री के लिए इन स्त्रोतो पर पर्याप्त निर्भर होता जा रहा हैं।

द्वैतीयक स्त्रोतो के अन्तर्गत आने वाले ऐतिहासिक प्रलेखो, जीवन इतिहास ऐतिहासिक डायरियो का महत्व कम नहीं है। इतिहास की उपेक्षा सामाजिक अनुसंधान में नहीं की जा सकती। पूर्व इतिहास के बिना किसी घटना कें महत्व को

Scanned with CamScanner

नहीं समझ सकते। यदिं सामाजिक संस्थाओ, घटनाओ का अध्ययन करना हैं तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानना आवश्यक होगा। द्वैतीयक स्त्रोतो को हम दो भागो में विभाजित कर सकते हैं-1) व्यक्तिगत प्रलेख, 2) सार्वजनिक प्रलेख ।

1) व्यक्तिगत प्रलेख - व्यक्तिगत प्रलेख वह लिखित सामग्री हैं जिसमें एक व्यक्ति द्वारा अपने स्वयं के बारे में या सामाजिक, राजनीतीक, आर्थिक व सांस्कृतिक घटनाओ के बारे में वर्णन अपने दृष्टिकोण से किया हुआ हो। व्यक्तिगत प्रलेखो में सामान्यतः लेखक स्वयं कें विचार, मनोवृत्तियाँ, आवेग, भावनाओं एवं दृष्टिकोण का समावेश होता हैं। व्यक्तिगत प्रलेख व्यक्ति स्वयं द्वारा लिखे हुए होते हैं या यों कहिए उसकी स्वयं की रचना होती हैं। इन प्रलेखो में उसकी मनोवृत्तियाँ और किसी घटना विशेष के बारे में दृष्टिकोण का पता चलता हैं । ये रचनाएँ, व्यक्ति के स्वयं के अनुभवो पर निर्भर हैं । इसमें उसकें व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप दृष्टिगोचर होती है। व्यक्तिगत प्रलेखों को लिखने वाले महान व्यक्ति-लेखक, दार्शनिक, उच्चकोटी के नेता, साहित्यकार, कवि, कूटनीतिज्ञ आदि होते हैं। इन प्रलेखों में विस्तृत सामग्री मिल जाती है, जिससे अनुसन्धानकर्ता को यह सुविधा और स्वतन्त्रता रहती है कि वह जितनी सामग्री अर्थपूर्ण एवं उपयोगी समझे, उसका संकलन करर सके। चूँकि ये प्रलेख व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित है। अतः हमें लेखक के आन्तरिक भावों का पता चलता है कि उसका दृष्टिकोण किसी घटना के सम्बन्ध में एक विशेष प्रकार का क्यों रहा है? उसकी आन्तरिक गहराइयों में छानबीन करने का उसे सुअवसर मिलता है, जो शायद उसे अन्य स्त्रोतों से नहीं मिलता। व्यक्तिगत प्रलेख निम्नलिखीत प्रमुख स्त्रोतों में प्राप्त किए जा सकते हैं।

i) जीवन-इतिहास - जीवन इतिहास का सच्चे अर्थ में तात्पर्य विस्तृत आत्मकथा से हैं। सामान्य अर्थ में इसका प्रयोग ढीले-ढाले तौर पर होता है तथा किसी भी जीवन सम्बन्धी सामग्री के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। महान पुरूषों द्वारा लिखी गई आत्मकथाओं में केवल व्यक्तिगत जीवन की ही झाँकी नहीं मिलती, बल्कि समाज से सम्बन्धित महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। जीवन-कथाओं में न केवल विवरणात्मक सामग्री होती है बल्कि बडे ही रोचक, हृदयस्पर्शी दृष्टांत पढने को मिलते हैं जो प्रायः बडे महत्त्व के होते हैं। हमें एक प्रकार की नैतिकता एवं आदर्शों का प्रशिक्षण भी मिलता है। यह तत्कालीन सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक घटनाओं के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने का श्रेष्ठ साधन है।

ii) डायरियाँ - डायरियों में बहुत से लोग जीवन की विभिन्न घटनाओं को प्रस्तुत करते हैं। इसनें घटनाओं के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं और भावनाओं का समावेश होता है। जीवन के कटु अनुभव, विशेष परिस्थिति में स्वयं की मनस्थिति, अचूक प्रतिक्रियाएँ, रोष, सुख-दुख, मनोभाव आदि का वर्णन अक्सर डायरियों में मिलता है। इनमें गोपनीय से गोपनीय बातों का भी जिक्र मिल जाता है। इस अर्थ में डायरियाँ आत्मकथाओं की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय होती है।

iii) पत्र - चूँकि पत्र व्यक्तिगत होते हैं, अतः इनके माध्यम से लेखक के वास्तविक विचारों, भावनाओं, एवम् दृष्टिकोणों का पता आसानी से लग जाता है। सामाजिक जीवन जैसे विवाह, प्रेम, तलाक या यौन पर लिखे पत्र तो वास्तविकताओं का ही चित्रण करते हैं। राजनीतिज्ञों द्वारा लिखे गुप्त पत्र देश की विदेश नीति का रहस्योद्घाटन करते हैं। राष्ट्राध्यक्षों के मध्य पत्र-व्यवहार से पता चल सकता है कि देशों के आपसी सम्बन्ध कैसे रहे हैं, मधुर या कटु। पत्र शिसक्षा व प्रशिक्षण के भी अच्छे साधन हैं।

iv) संस्मरण - कई बार लोगों द्वारा जीवन की घटनाओं, विभिन्न यात्राओं तथा महत्वपूर्ण परिस्थितीयों के संस्मरण, अनुसंधानकर्ता को महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करते हैं। संस्मरण किसी देश व समाज की आर्थिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक परिस्थितियों के बारे में वास्तविक चित्रण प्रस्तुत करते हैं। प्राचीन काल में यात्रा वर्णनों, तथ्यों, संस्मरणों ने ऐतिहासिक महत्व की सामग्री प्रदान की है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विवरणों से हमें रीति-रिवाज, रहन-सहन, धर्म, वंश भाषा एवं राजनीतिक परिस्थितियों, सामाजिक वातावरण के बारें में उपयोगी सामग्री प्राप्त होती है।

2) सार्वजनिक प्रलेख - सार्वजनिक प्रलेख उन्हें कहते हैं जिन्हें कोई सरकारी या गैर-सरकारी संस्था तैयार करती है। इन्हें प्रकाशित या अप्रकाशित रूप में जनता के लाभ के लिए उपलब्ध कराया जाता है। देश में विभिन्न प्रकार के आयोजन व कार्यक्रम रखे जाते हैं, उनका रिकार्ड सरकार अपने पास रखती है। योजनाएँ जैसे परिवार नियोजन, प्रौढ शिक्षा, तकनीकी प्रगति, औद्योगिक विकास आदि के सम्बन्ध में कई कार्यक्रम समय-समय पर होते रहते हैं। इनके सम्बन्ध में आँकडे, सूचनाएँ सुरक्षित रखी जाती है। कुछ गैर सरकारी संस्थाएँ भी अलग से आँकडे और सूचनाएँ रखती है। सार्वजनिक प्रलेखों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। अ) प्रकाशित प्रलेख, ब) अप्रकाशित प्रलेख।

Scanned with CamScanner

अ) प्रकाशित प्रलेख - केवह उन्हीं प्रलेखों को प्रकाशित किया जाता है जो आम जनता द्वारा प्रयोग किए जा सकते हैं। ये सार्वजनिक स्थानों जैसे सार्वजनिक वाचनालयों, स्कूल और पुस्तकालयों में उपलब्ध हो सकते हैं। सार्वजनिक प्रलेख मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं।

i) रिकार्ड - विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संगठन या संस्थाएँ अपनी आवश्यकताओं के लिए अनेक सूचनाओं का रिकार्ड रखती है। जिनसे सामाजिक घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है।

ii) प्रकाशित आंकडे - सरकार तथा प्राइवेट संस्थाएँ समय-समय पर आँकडे प्रकाशित करती हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर आँकडे प्रकाशित किए जाते हैं, जिनसे पता चलता है कि हमने विभिन्न क्षेत्रों में क्या उपलब्धियाँ की है, क्या हमारे उद्देश्य है तथा हम किस रफ्तार से प्रगति पथ पर बढ रहे हैं।

iii) पत्र व पत्रिकाओं की रिपोर्ट - विभन्न प्रकार की साप्ताहिक, मासिक, द्वैमासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित होती है, जिनमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं का ब्यौरा मिलता है। अनुसंधानकर्ता अपने कार्य सम्बन्ध सामग्री को इनके माध्यम से प्राप्त कर सकता है।

iv) विविध सामग्री - पत्र-पत्रिकाओं, पुस्तकों, उपन्यासों में विविध प्रकार की प्रकाशित सामग्री का लाभ अनसंधानकर्ता अपने अनुसंधान में उठा सकता है। कई उपन्यास जिनका उद्देश्य सामाजिक समस्याओं को प्रस्तुत कर उनका समाधान बताना होता है, वे सामाजिक अनुसंधानकर्ता के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं।

ब) अप्रकाशित प्रलेख - इनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं।

i) गोपनीय रिकार्ड - ये वे रिकार्ड होते हैं, जो सार्वजनिक होते हुए भी परिस्थितियोंवश प्रकाशित नहीं किए जा सकते। सार्वजनिक हित, सुरक्षक्षा एवं व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इनका प्रकाशन नहीं किया जाता। न्यायालयों के रिकार्ड, सैनिक दफ्तरों के रिकार्ड, बोर्ड तथा विश्वविद्यालयों के परीक्षाफल रिकार्ड, विभिन्न कम्पनियों तथा बँकों के रिकार्ड आदि जो गोपनीय प्रकृति के होते हैं, उन्हें प्रकाशित नहीं किया जाता।

ii) दुर्लभ हस्तलेख - कई हस्तलेख विद्वान विचारकों, लेखकों व प्रतिभाशाली साहित्याकारों द्वारा लिखे गए हैं पर किसी कारणवश अप्रकाशित रह जाते हैं। इन हस्तलेखों से बडी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है।

iii) शोध रिपोर्ट - ये रिपोर्ट विद्यार्थीयों द्वारा विश्वविद्यालयों में एम.ए. या पीएच्.डी. डिग्री प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत की जाती है। इनका प्रकाशन बहुत मुश्किल से हो पाता है। व्यक्ति स्वयं इनका प्रकाशन आर्थिक परिस्थितीयों के कारण नहीं कर पाता और प्रकाशक को जब तक मुनाफा होता नहीं दिखाई देता, वह इन शोध कार्यों को प्रकाशित नहीं करता।

सारांश - किसी भी शोध या अनुसंधान में तथ्य-सामग्री एक महत्वपूर्ण अंग है। अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान में तथ्य-सामग्री को आधार मानकर चलता है। अनुसंधान की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि तथ्य-सामग्री के स्त्रोत विश्वसनीय हैं या नहीं। विश्वसनीय स्त्रोतों के अभाव में तथ्य-सामग्री के संकलन में भी दोष प्रवेश कर जाते हैं। अनुसंधान में परिशुद्धता, निरपेक्षता और यथार्थता तभी आ सकती है, जब आँकडों तथा तथ्य-सामग्री के स्त्रोतों की अच्छी तरह जाँच या परीक्षा की जाए।

संदर्भ -

1) डॉ. सावित्री सिन्हा - अनुसन्धान का स्वरूप, आत्माराम एण्ड सन्स, नई दिल्ली, 1954
2) राम आहुजा - सामाजिक अनुसन्धान, रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2010
3) बी.एम. जैन - रिसर्च मेथ्डोलॉजी, रिसर्च पब्लिकेशन्स इन सोशल सायन्स, दिल्ली
4) वामन शिवराम आपटे - संस्कृत-हिंदी कोश
5) **Berelson, B. and Other - The research design is best defined as the logical strategy of the study, Voting, 1954**

------------------------------*****------------------------------

Scanned with CamScanner

19-20

Impact Factor – 6.625 | Special Issue – 232 | February 2020 | ISSN – 2348-7143

INTERNATIONAL RESEARCH FELLOWS ASSOCIATION'S

RESEARCH JOURNEY

Multidisciplinary International E-Research Journal

PEER REVIEWED, INDEXED AND REFEREED JOURNAL

२१ वीं शताब्दी का हिंदी उपन्यास साहित्य

अतिथि संपादक
प्राचार्य डॉ. ए. एस. पैठणे

मुख्य संपादक
डॉ. धनराज टी. धनगर

कार्यकारी संपादक
डॉ. महेश गांगुर्डे

कार्यकारी सह-संपादक
प्रा. महेंद्र वसावे

For Details Visit To :
www.researchjourney.net

Printed By : PRASHANT PUBLICATIONS, JALGAON

Scanned with CamScanner

– अनुक्रमणिका –

- 'मुक्तिपर्व' उपन्यास में सामाजिक चेतना १
  डॉ. जिजाबराव विश्वासराव पाटील
- आदिवासियों की समस्याओं को दर्शाने वाला उपन्यास: पठार पर कोहरा ३
  डॉ. संजयकुमार शर्मा
- 'गुलाम मण्डी' उपन्यास में चित्रित किन्नर समाज की व्यथा चित्रण ७
  प्रा. डॉ. महेश वसंतराव गांगुर्डे
- वर्तमान कृषि संस्कृति की दर्दनाक व्यथा, पीड़ा को प्रस्तुत करता हैं : फाँस उपन्यास १०
  डॉ. सुरेश तायडे
- महानगरीय जीवन में घुटन की त्रासदी ('मकान' उपन्यास के विशेष संदर्भ में) १४
  डॉ. प्रिया ए.
- भूमंडलीकरण के परिप्रेक्ष्य में 'गिलिगडु' में चित्रित वृद्ध जीवन १६
  श्री. सुर्याबा जगन्नाथ शेजाळ, डॉ. बालकवि लक्ष्मण सुरंजे
- अधिकारों के लिए प्रयासरत एक समाज सन्दर्भ– मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास–अल्मा कबूतरी १९
  डॉ. वन्दना श्रीवास्तव
- इक्कीसवीं सदी के आदिवासी केन्द्रित हिन्दी उपन्यास ('ग्लोबल गांव के देवता' तथा 'गायब होता देश' के संदर्भ में') २२
  प्रा. अनिल गामीत
- २१ वीं सदी के उपन्यासों में दस्तक देता वृद्ध विमर्श २३
  सुश्री डाने कायी
- अस्तित्व के लिए जूझती सरयू २५
  डॉ. रेखा गाजरे
- इक्कीसवीं सदी के उपन्यासों में बदलती नारी प्रतिमा (अन्तर्वंशी उपन्यास के विशेष संदर्भ में) २९
  प्रा. डॉ. कामिनी भवानीशंकर तिवारी
- रिश्तों की तलाश करता किन्नर समाज – 'तीसरी ताली' ३१
  डॉ. राजेंद्र के. जाधव
- वैश्वीकरण की चपेट में दरकते दाम्पत्य संबंध (से.रा.यात्री के 'मायामृग' उपन्यास के संदर्भ में) ३३
  प्रा. डॉ. सुनील गुलाब पानपाटील
- दलितों की गुलामी का 'मुक्ति–पर्व' ३५
  प्रा. डॉ. गौतम भाईदास कुवर
- संपूर्ण एकता के दावें को ठोकर मारता उपन्यास:– यमदीप ३८
  प्रा. डॉ. पंढरीनाथ शिवदास पाटील
- 'सेज पर संस्कृत' उपन्यास में सामाजिकता ४०
  प्रा. डॉ. सुनीता एन. कावळे
- कही ईसुरी फाग में स्त्री की स्थिति ४३
  प्रा. डॉ. सविता काशिराम तायडे
- इक्कीसवीं सदी का हिंदी उपन्याास साहित्य अमरकांत के विशेष संदर्भ में ४५
  डॉ. योगेश गोकुळ पाटील

Scanned with CamScanner

'गुलाम मण्डी' उपन्यास में चित्रित किन्नर समाज की व्यथा चित्रण

प्रा. डॉ. महेश वसंतराव गांगुर्डे
हिन्दी विभागप्रमुख,
कला, वाणिज्य महाविद्यालय, अक्कलकुवा

सारांश :

'गुलाम मण्डी' निर्मला भुराडिया का बहुचर्चित उपन्यास है। प्रस्तुत उपन्यास २०१४ में सामयिक पैपरबैक्स, नयी दिल्ली से प्रकाशित हुआ है। प्रस्तुत उपन्यास में निर्मला भुराडिया ने मजबूर स्त्रियों की जीवन की त्रासदी के साथ-साथ किन्नरों के जीवन का ताना-बाना भी बुना है। कई स्त्रियों को नौकरी दिलाने के बहाने धोखे से वेश्या व्यवसाय में धकेल दिया जाता है। यह सम्पूर्ण उपन्यास जिस्मफरोशी का राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार किस तरह चलता इससे जुडा हुआ हैं। साथ ही इस उपन्यास में लेखिका ने किन्नर समाज की व्यथाओं का यथार्थ चित्रण भी किया है। किन्नरों का नाम सुनते ही कई लोग आज भी मुँह फेर लेते है, उनके सामने जाना पसंद नहीं करते। हमारा सभ्य समाज आज भी किन्नरों को घृणा की दृष्टि से देखता है। किन्नर का नाम सुनते ही कई लोग तरह-तरह का मुँह बनाते है। प्रस्तुत उपन्यास की पात्र अंगुरी है जो जबरन पैसे ऐंठने का काम करती है। कोई अगर पैसे नहीं देता तो वह कपडे उठा नंगे होने की धमकी देती है। इस उपन्यास की दूसरी नायिका कल्याणी है जो किन्नरों को ऐसा करने से रोकती है। वह अंगुरी को भी रोकती है और ऐसा न करने का कारण समझाती है और तभी से दोनों में गहरी दोस्ती भी हो जाती है। लेखिका ने कल्याणी तथा अंगुरी के माध्यम से सभ्य समाज तथा किन्नर समाज की विषमाताओं को स्पष्ट करते हुए किन्नर समाज की व्यथा को स्पष्ट क़रने का प्रयास किया है।

'गुलाम मण्डी' निर्मला भुराडिया का बहुचर्चित उपन्यास है। प्रस्तुत उपन्यास २०१४ में सामयिक पैपरबैक्स, नयी दिल्ली से प्रकाशित हुआ है। प्रस्तुत उपन्यास में निर्मला भुराडिया ने मजबूर स्त्रियों की जीवन की त्रासदी के साथ-साथ किन्नरों के जीवन का ताना-बाना भी बुना है। प्रस्तुत उपन्यास में किन्नरों को सभ्य समाज किस तरह हिकारत और घृणा की नजर से देखता है इसका भी चित्रण हुआ है। सभ्य समाज की वास्तविकता यह है कि, जब उनके घर कोई बच्चा पैदा होता है तब या घर में शादी होती है तब किन्नरों का वहाँ आकर नाच-गाना करना तथा आशीर्वाद देना शुभ मानते है तथा उन्हें वहाँ बुलाकर मुँहमाँगा दाम देकर इन्हें खुशी से विदा करते है। लेकिन वही कभी रास्ते में मिल जाये तो उनसे मुँह फेर लेते है ऐसा क्यों ? क्या वे इस सभ्य समाज का हिस्सा नहीं है ? क्या इस तरह जन्म लेना पाप है? या इस तरह जन्म लेना उनके हाथों में था? सभ्य समाज इन बातों को समझकर भी उनका मजाक उडाता है। किन्नरों को देख लोग अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं।

घर में शादी और बच्चा हो तो इन्हें खुद बुलाते है तो बाकी समय में इनके साथ ऐसा तिरस्कृत व्यवहार क्यों किया जाता है। लेखिका ने सभ्य समाज की रूढियों पर व्यंग्य करते हुए अंगुरी के माध्यम से कहा है। अंगुरी कल्याणी से कहती है, ''पैर छुओ और अच्छा-सा एक आशीर्वाद अपने नाम कर लो। हिजडा गुरू का आशीर्वाद बहुत फलता है, वह भी सौ साल की गुरू। कई लोग आकर पैर छूकर जाते हैं इनके।''[१] किन्नर गुरूओं के आशीर्वाद के लिए लम्बी कतारें भी लगती है लेकिन बाद में इन्हीं से उपेक्षा क्यों की जाती है इस पर लेखिका ने प्रश्नचिह्न निर्माण किया है। जब सभ्य समाज किन्नर समाज को इतना तिरस्कृत और बहिष्कृत मानता है तो क्या किन्नर के गुरू इन्हें दिल से दुआ दे पाता होगा?

कल्याणी और अंगुरी किन्नर एक-दूसरे के अच्छे दोस्त हो जाने के कारण अंगुरी कल्याणी को अपने डेरे पर ले जाती है। कल्याणी को उसका डेरा बहुत अच्छा लगता है। डेरे के अंदर जैसे ही वह दाखिल होती है उसे कौवों की काँव-काँव सुनाई देती हैं। कल्याणी परेशान हो जाती है कि आखिर कौओं की आवाजें कहा से आ रही है। अंगुरी कल्याणी क्या सोच रही है यह समझ जाती है और कहती है, 'क्या सोच रही हो कल्याणी ?' और कहती है, ''बजरबट्टू की तरह क्या देखती हो, दीदी ? मेरे गुरू ने पाले हैं।''[२] कल्याणी आश्चर्य से उसकी तरफ देखती ही रह जाती है। तो अंगुरी उसे कहती है, ''मैना पालेंगी हम?''[३] लेखिका ने कल्याणी और अंगुरी किन्नर के संवादों के माध्यम से तोता-मैना अर्थात स्त्री-पुरूष जो सभ्य समाज का हिस्सा है और कौआ याने किन्नर जो सभ्य समाज का हिस्सा होते हुए भी तिरस्कृत और बहिष्कृत होता है। किन्नर समाज भी कौओं को उनकी तरह बहिष्कृत और तिरस्कृत मानते है और उन्हें अपना मानते है। तो कल्याणी कहती है कि, ''पर श्राद्ध के दिनों में तो हम कौवों को ही खीर-पूरी खिलाते हैं।''[४]

हिन्दु धर्म की मान्यता है कि श्राद्ध के दिनों में कौवों को खाना खिलाने से मरने वाले पूर्वजों की मृत आत्मा को शांति मिलती है। लेखिका यहा इस कल्याणी के कथन के माध्यम से सभ्य समाज में कौवें के स्थान को लेकर बात कहलवाती है। लेकिन कौवें के द्वारा सभ्य समाज कितना स्वार्थी है इसका भी पर्दाफाश करवाती है। क्योंकि यही लोग जब श्राद्ध होता है तब कौवें का अच्छा-सा खाना खिलाते है उसकी पूजा करते है। इन्सान कौवों से अपने स्वार्थ की पूर्ति करता है। हमीदा सभ्य समाज के इसी पाखंड को लेकर कहती है कि, ''श्राद्ध के दिनों में ही न स्वारथ रहता है न तुम्हारा ! आडे दिन में जो कहीं कव्वा आकर बैठ जाये न तुम पर, तो नहाओगी - धोओगी, अपशगुन मनाओगी। जैसे हम न तुम्हारे जो शादी-ब्याह हों तो नाचेंगी-गायेंगी, शगुन पायेंगी, मगर यूँ जो रास्ते में आ पडी न हम, तो हिजडा कहकर धिक्कारेगी।''[५] जिस तरह सभ्य समाज कौवों को सिर्फ श्राद्ध के समय अपनाता है और उन्हें देखने के लिए तरसते है ठीक उसी तरह

Scanned with CamScanner

शादी-ब्याह या घर में खुशी का माहौल हो तब किन्नर को देखते है। लेकिन जैसे श्राद्ध खत्म हो और कौवा दिख जाये या काँव-काँव करे तो अपशगुन हो गया ऐसा मानते है, इनके घर का शादी-ब्याह का माहौल ना हो तो किन्नर का मुँह देखना पसंद नहीं करते। जिस तरह सभ्य समाज इन कौवों को नहीं अपनाता उसी तरह किन्नरों को भी नहीं अपनाता। इस संदर्भ में अंगुरी की एक साथी कहती है, ''हमारी जात के तो ये ही हैं, हमारे सगे वाले। तुम लोग उनको दुरदुराते हो, हम मोहब्बत से पालते हैं।''[६]

लेखिका ने इस उपन्यास में किन्नर समाज की व्यथा का यथार्थ चित्रण करते हुए उनकी शवयात्रा का वर्णन भी किया हुआ मिलता है। किन्नरों की गुरू बिन्दा के मरने के बाद सभी किन्नर आधी रात को चुपचाप उसे दफनाने के लिए निकलते है। सभी काली साडी पहनते है और बाल खुले छोड देते है तथा नंगे पैर चलते है। अपनी-अपनी चप्पलें एक डोरी से कमर को बांध लेते है। शव को कब्र में उल्टा अर्थात पेट के बल लिटा देते है। किन्नर समाज में एक प्रथा है कि शव को चप्पलों से पिटा जाता है कि फिर वह अगले जन्म में हिजडा ना बने। लेखिका लिखती है कि, ''लाश को उल्टा रखकर उन सभी ने अपनी-अपनी कमर में बंधे जूते-चप्पल निकाल लिए और लाश को पीटना शुरू किया, इस कथन के साथ कि अगले जनम में हिजडा न बनना।''[७] उनका ऐसा करने के पीछे उद्देश्य यही है कि, इस जन्म में उसने जो भी भोगा वह उसे अगले जनम में ना मिले। किन्नरों में प्राचीन काल से यह प्रथा चलती आ रही है। जन्म से मृत्यु तक किन्नर ना जाने कितनी पीडाओं के साथ जीवन जीता है साथ ही मरने के बाद भी जूते-चप्पल से पीटना वह भी क्यों तो उसे अगला जनम हिजडे का ना मिले इसलिए।

सभ्य समाज की विडम्बना ही यही है कि, जो बालक जन्म लेता है, जिसको अभी तक यह नहीं पता कि, उसकी माँ कौन है और बाप कौन ? जो संसार के सभी क्रिया-कलापों से अनजान है ? जिसे यह भी पता नहीं कि वह किस जाती, धर्म का है ? बस वह लडका या लडकी ऐसा एक निश्चित लिंग लेकर पैदा ना होने के कारण कूडे के ढेर में फेंक दिया जाता है। उसके माता-पिता लोक लाज तथा समाज के भय से उस दूधमुँहे बालक को इस तरह फेंक आते हैं। स्त्री-पुरूष इस चक्र में ना बैठने वाले उस मासूम के साथ इस तरह का अत्याचार आखिर क्यों ? अपने जन्म से शुरू हुआ उसका यह सफर मृत्यु की छोर तक विडम्बना से भरा ही होता है। रमीला जब अपने जन्म की बात बताती है, और कहती है कि बहुत दिनों तक उसकी माँ ने उसकी सच्चाई दुनिया से छिपा कर रखी, लेकिन एक दिन दाई ने सच्चाई उगल दी और उसे बिन्दा गुरू के चेले लेने आ गए। नहीं तो उस समय मेरी स्कूल जाने की उमर हो गई थी। रमीला का बात पर हमीदा व्यंग्य से कहती है, ''बडे मजे से कह रही है स्कूल जाने की उम्र हो गयी थी। कोई भरती करता क्या पाठशाला में ? पहले पूछते, मेल की फिमेल ?''[८]

रमीला की बातें और हमीदा का व्यंग्य यह उनकी आपसी बातें भी हो फिर भी एक बात तो तय है कि, उन्हें शिक्षा प्राप्त करते समय कितनी समस्याओं का सामना करना पडता है। पहले तो इसके लिए कोई प्रावधान नहीं था, पर अब जैसे-जैसे विविध माध्यमों द्वारा, संगोष्ठियों द्वारा, अनुसंधानों द्वारा किन्नर समाज पर शोध हुआ, उनकी समस्याएँ उभरकर सामने आयी तब से अब आवेदन पत्र हो अन्य कोई पत्र उसमें स्त्री, पुरूष और अन्य का कॉलम भी बढ गया। भारत में किन्नरों के दो विशेष स्कूल है एक रायबरेली और दूसरा केरल में। शिक्षा के क्षेत्र में समानता की बातें सिखाई जाती है तो फिर यह भेदभाव की भावना कहाँ से उत्पन्न होती है? यह भी एक बहुत बडा सवाल है। लेखिका हमीदा के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था पर व्यंग्य कसते हुए कहलवाती है कि, ''अपनी वो शर्मीला है न, छोरा बन के भरती हुई थी, तो बहनजी ने एक दिन चड्डी उतरवा ली थी उसकी और जूते मार के स्कूल से निकलवा दिया था उसको। उमराव गुरू के कुनबे ने शरण दी उसको, वरन् भूखी मर जाती वो भी।''[९] क्या किन्नर होना बहुत बडा पाप है? कि वो शिक्षा जैसे पवित्र संस्कार भी पा ना सके। शिक्षा जैसे पवित्र मन्दिर में भी उनके साथ इस तरह का भेद-भाव, क्या हो गया अगर वह ना एक स्त्री है, ना एक पुरूष ? एक शिक्षक बच्चों को उचित शिक्षा देता है, उनको सम्मान से जीवन जीने का सबक देता है। लेकिन किन्नर हो तो उसे स्कूल से निकाल देना कहा तक उचित है ?

लेखिका ने प्रस्तुत उपन्यास में अपनी नपुंसकता को कटवा मर्द से किन्नर बनने वाले किन्नर की व्यथा का भी चित्रण किया है। रमीला जो की एक मर्द थी लेकिन नंपुसक। इस लिए उसे जिल्लत का जीवन जीना पडता है। एक दिन वह नपुंसकता को कटवा कर किन्नर बन जाती है। किन्नरों का मानना है कि, ऐसा करने से उनकी आशीर्वाद की शक्ति बढ जाती है। प्रस्तुत उपन्यास की अंगूरी भी इसी तरह की किन्नर है। इस संदर्भ में रमीला कहती है कि, ''अच्छा ही हुआ 'खरपतवार' निकल गयी, मैं कमजोर नामर्द से शान वाली किन्नर बन गयी। निर्वान हो गयी तो मेरे आशीर्वाद में ताकत आ गयी। मैं नाचने-गाने, कमाने लायक हो गयी।''[१०]

किन्नर समाज की सबसे बडी समस्या है रोजगार की समस्या। किन्नरों को सभ्य समाज में कहीं पर भी काम नहीं मिलता। किन्नर समाज कहीं पर भी काम माँगने जाये तो उसे हँसकर टाल दिया जाता है, उसका मजाक बनाया जाता है। पेट पालने के लिए या तो उसे नाच-गाकर पैसे कमाने पडते है, या तो वेश्या व्यवसाय अपनाकर अपना पेट पालना पडता है। फिर भी लोग उन्हें ताना ही देते है, उनकी भर्त्सना ही करते हैं। अंगूरी अपना एक अनुभव कथन करते हुए लिखती है कि, एक बार वह एक घर काम माँगने जाती है, तो उस घर की औरते कहती है कि, 'हिजडे से बरतन मँजवाएँगे क्या ?' अंगूरी उनको जवाब देती है तो वह औरते थाने में जाकर शिकायत कर देती है कि, एक हिजडा आकर गली की औरतों को तंग कर रहा है और अश्लील बातें भी कर रहा है। ''पुलिस मुझे पकड कर ले गयी। मारा भी और रेप भी किया। अब पूछो कानून के रखवाले से, भला हिजडों को पुरूष थाने में क्यों भेजते हैं ? नहीं तो बनाएँ तीसरा थाना।''[११] पुलिस व्यवस्था द्वारा ही शोषण होना नैतिकताविहीनता का प्रतीक है। रक्षक ही भक्षक बन जाये तो फिर्याद कौन सुनेगा ? पुलिस का दायित्व है समाज की सुरक्षा करे, लेकिन पुलिस ही उनके यहां आयी

हुई किन्नर पर अश्लील व्यंग्य करें, उसके साथ आरोपियों जैसा बर्ताव करे या उसके साथ बलात्कार करें तो क्या उन्हें दण्ड देने को कोई प्रावधान नहीं है? मजबूर और बेबस किन्नर पर बलात्कार करना और उसे जानवरों की तरह मारना कहा की इन्सानियत है ?

इस उपन्यास में रानी की कथा भी बडी दर्दनाक है। रानी कभी किसी परिवार का राजा बेटा हुआ करती थी। पर जैसे-जैसे रानी बडी हुई उसकी इच्छाएँ लडकियों जैसी थी, जैसे बिन्दी लगाना, कपडे पहनना, नाच-गाना करना आदि। उसके घरवालों को यह सब पंसद नहीं आता। जब वह बडी होती है तो वह मनोज चायवाले से प्रेम करती है और मनोज भी उससे प्रेम करता है, लेकिन यह प्रेम समलैंगिक कहलाता है। राजा को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। राजा ऑपरेशन कर स्त्री बनना चाहती है पर मनोज कहता है, ''मेरे को तू छोकरा ही अच्छा लगता है। छोकरी चाहिए होती तो मेरे को एक नहीं, दस मिल जातीं।''[१२] राजा के पास रोहित का फोटो पाकर मनोज उसे बेवफा समझ उसका गुप्तांग कटवा कर उसे चमेली कोठे वाली को बेच देता है। मनोज आज के समाज का प्रतिनिधीत्व करता है।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि, लेखिका निर्मला भुराडिया ने प्रस्तुत उपन्यास में अंगूरी तथा कल्याणी के माध्यम से सभ्य समाज तथा किन्नर समाज की दरियों को स्पष्ट किया है। साथ ही अंगूरी, हमीदा, रमीला, रानी आदि किन्नरों के माध्यम से उनकी कथा-व्यथा का भी यथार्थ वर्णन किया है। अंगूरी पर पुलिस किस तरह अन्याय-अत्याचार कर बलात्कार करती है, रमीला का किस तरह स्कूल से निकाला जाता है, राजा (रानी किन्नर) को किस तरह अपने प्रेम की कीमत अपने गुप्तांग को काटकर चुकानी पडती है। इन सभी किन्नर पात्रों के माध्यम से लेखिका ने सभ्य समाज की भुक्तभोगी संस्कृति का चित्रण तथा किन्नर होने पर समाज द्वारा उन्हें किस तरह प्रताडित, अपमानित, घृणास्पद और तिरस्कारित जीवन जीना पडता है इसका चित्रण 'गुलाम मण्डी' में अभिव्यक्त हुआ है। सभ्य समाज को अब इस किन्नर समाज की ओर इन्सानियत से देखने की तथा उनके साथ इन्सानों के जैसा बर्ताव करने की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ :

१. निर्मला भुराडिया, गुलाम मण्डी - सामयिक पेपरबैक्स, नयी दिल्ली - २०१४, पृ.क्र. १४
२. वही पृ. क्र. ११
३. वही पृ. क्र. ११
४. वही पृ. क्र. १२
५. वही पृ. क्र. १२
६. वही पृ. क्र. १२
७. वही पृ. क्र. ६६
८. वही पृ. क्र. ६९
९. वही पृ. क्र. ६९
१०. वही पृ. क्र. ७०
११. वही पृ. क्र. ७१
१२. वही पृ. क्र. ७५

Scanned with CamScanner

19-20

5

Impact Factor – 6.625 ISSN – 2348-7143

INTERNATIONAL RESEARCH FELLOWS ASSOCIATION'S

RESEARCH JOURNEY

International Multidisciplinary E-Research Journal

PEER REFREED & INDEXED JOURNAL

February - 2020 Special Issue – 224 (C)

RELEVANCE OF GANDHIAN THOUGHTS

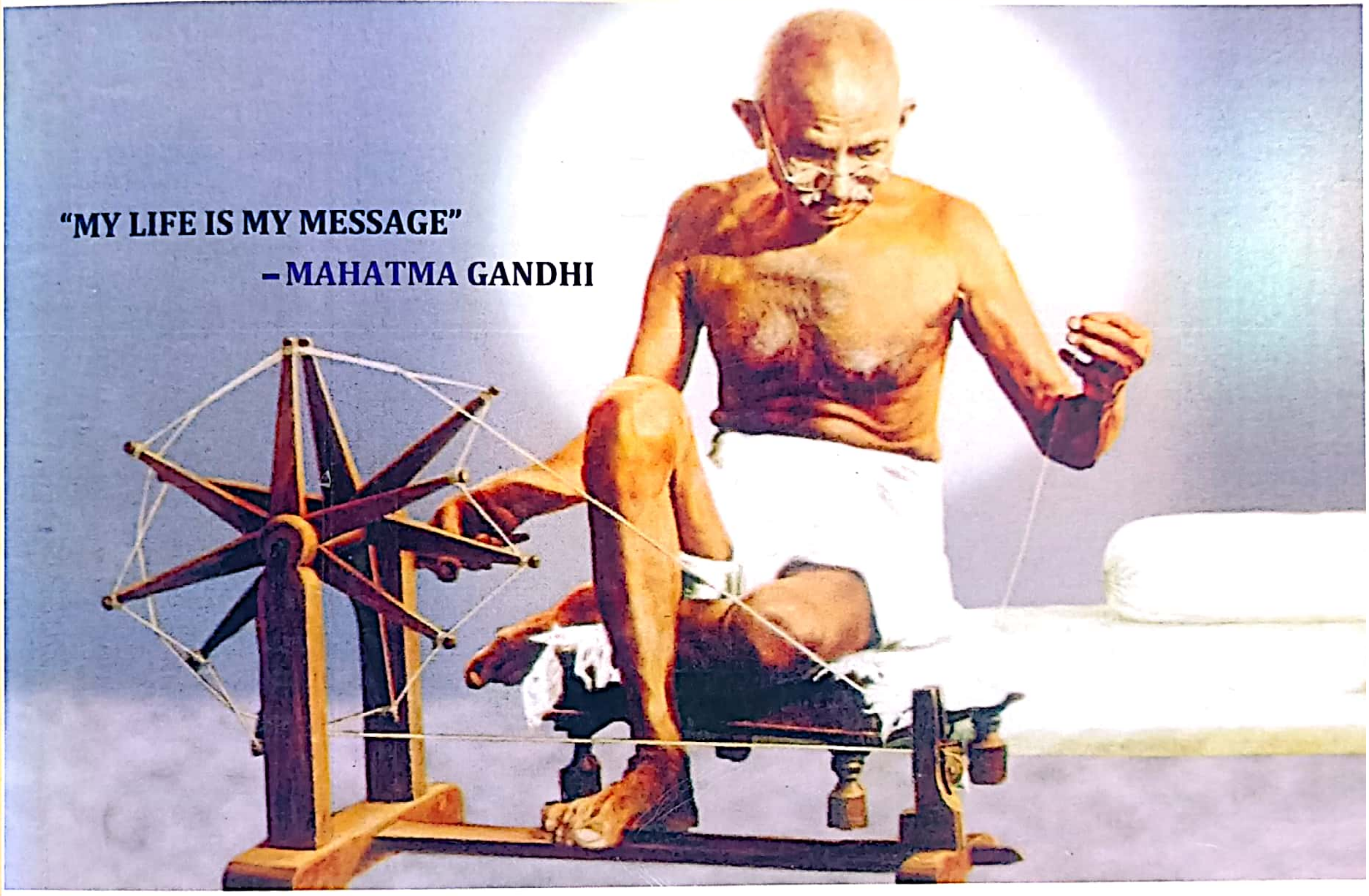

Guest Editor :
Dr. Mrs. M. V. Waykole
Principal,
Bhusawal Arts, Science and P.O. Nahata Commerce College, Bhusawal, Dist Jalgaon.

Executive Editor :
Dr. A. D. Goswami
Vice Principal,
Bhusawal Arts, Science and P.O. Nahata Commerce College, Bhusawal, Dist Jalgaon.

Chief Editor :
Dr. Dhanraj T. Dhangar
(Yeola)

This Journal is indexed in :
- Scientific Journal Impact Factor (SJIF)
- Cosmos Impact Factor (CIF)
- Global Impact Factor (GIF)
- International Impact Factor Services (IIFS)

RESEARCH JOURNEY

For Details Visit To : www.researchjourney.net

SWATIDHAN PUBLICATIONS

INTERNATIONAL RESEARCH FELLOWS ASSOCIATION

Scanned with CamScanner

31	'बकरी' नाटक में गाँधीजी के सिद्धांतों का दुर्व्यवहार	डॉ. पी. आर. गवळी	108
32	गाँधी विचारधारा और हिंदी उपन्यास	डॉ. जगदीश चव्हाण	113
33	हिंदी काव्य की सामाजिक चेतना पर गाँधीवाद का प्रभाव	डॉ. ईश्वर ठाकुर	117
34	महात्मा गाँधी विचारधारा का हिंदी कहानी पर प्रभाव	डॉ. प्रमोद पाटील	120
35	'मैला आँचल' उपन्यास पर गाँधी विचारधारा का प्रभाव	डॉ. अमृत खाडपे	122
36	प्रेमचंद के उपन्यास 'रंगभूमी' पर गाँधी चिंतन का प्रभाव	डॉ. महेश गांगुर्डे	124
37	कामायनी में गाँधीवादी चेतना	डॉ. रोशनी पवार	127
38	महात्मा गाँधी और सत्याग्रह	श्री राजेंद्र मोरे	131
39	माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य पर गाँधीवाद का प्रभाव	डॉ. भगवान भालेराव	133
40	गाँधीवादी दार्शनिकता	डॉ. सुनीती आचार्य	135
41	प्रेमचंद के उपन्यासों में अभिव्यक्त गाँधी दर्शन	डॉ. प्रीति सोनी	138
42	बेरोजगारी समस्या का समाधान – गाँधीजी की नयी तालीम	डॉ. आफताब शेख, डॉ. बाबासाहेब शेख	141
43	'मोहन का मसाला' नाटक में गाँधीवादी विचारधारा	डॉ. अंशुमान मिश्र	143
44	हिंदी उपन्यासों पर गाँधीवादी चिंतन का प्रभाव	श्री अनिल सूर्यवंशी	146
45	हिंदी काव्य पर गाँधी विचारधारा का प्रभाव	प्रा. जाकीर शेख	148
46	गाँधी विचारधारा से प्रभावित उपन्यास : थकी हुई सुबह	डॉ.रेखा गाजरे, प्रा.राजाराम तायडे	151
47	गाँधी विचारधारा का हिंदी उपन्यास, कहानी, काव्य, तथा नाटकों पर प्रभाव	ज्ञानेश्वर बोडके	154
48	रामधारी सिंह दिनकर का गाँधीवादी चिंतन (कुरुक्षेत्र के विशेष संदर्भ में)	प्रा. अजित चव्हाण	156
49	हिंदी काव्य में अभिव्यक्त गाँधी दर्शन	डॉ. रेखा गाजरे	160
50	सिद्धांतों का यथार्थ परिचायक : महात्मा गाँधी	डॉ. रुपाली चौधरी	166
51	प्रेमचंद के उपन्यासों में चित्रित गाँधीवादी विचारधारा	डॉ. रेखा गाजरे, भावना बडगुजर	169
52	गाँधीवाद दर्शन का साक्षात्कार – प्रार्थना पुरुष	प्रा. निखिल तायडे	174
53	बुनियादी शिक्षा के प्रणेता – मोहनदास करमचंद गाँधी	प्रा. सुनिता पवार	178
54	विश्व ज्योति बापू : हृदयस्पर्शी काव्य	मुक्ति जैन	181
55	'भूमिपुत्र' उपन्यास में गांधी आचार संहिता	डॉ. मनोज पाटील, डॉ. गिरीश कोळी	184
56	महात्मा गाँधी के राजकीय विचार	दत्तात्रय कातडे	187
57	महात्मा गाँधी के आर्थिक विचार	प्रा. शरद शेलार	191
58	गाँधीजी के विचारों की सामाजिक कार्यों में भूमिका	डॉ. अभिलाषा पाठक	194
59	गाँधीजी की शैक्षिक विचारधारा	श्रीमती त्रिवेणी एलकर	197
60	भावी विश्व व्यवस्था एवं अहिंसा की राजनीति	डॉ. विजय तुंटे, प्रा. छोटू मावची	201
61	महात्मा गाँधी का शैक्षिक तत्त्वज्ञान	डॉ. दिनेश हंगे	204
62	गाँधीजी के शिक्षा दर्शन की प्रासंगिकता मनोवैज्ञानिक संदर्भ में	डॉ. इसपाक अली	207

Scanned with CamScanner

'RESEARCH JOURNEY' International Multidisciplinary E- Research Journal
Impact Factor - (SJIF) - 6.625,
Special Issue 224 (C) : Relevance of Gandhian Thoughts
Peer Reviewed Journal
ISSN : 2348-7143
February-2020

प्रेमचंद के उपन्यास 'रंगभूमि' पर गांधी चिंतन का प्रभाव

डॉ. महेश वसंतराव गांगुर्डे
कला, वाणिज्य महाविद्यालय, अक्कलकुवा

प्रेमचन्द के उपन्यास न केवल हिन्दी उपन्यास साहित्य में बल्कि संपूर्ण भारतीय साहित्य में 'मील के पत्थर' हैं। प्रेमचन्द आधुनिक हिन्दी कहानी के 'पितामह' माने जाते हैं। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न प्रेमचन्द ने उपन्यास, कहानी, नाटक, समीक्षा, लेख, सम्पादकीय, संस्मरण आदि अनेक विधाओं में साहित्य की सृष्टि की। प्रमुखतया उनकी ख्याति कथाकार के तौर पर हुई और अपने जीवन काल में ही वे 'उपन्यास सम्राट' की उपाधि से सम्मानित हुए। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें 'उपन्यास सम्राट' कहकर संबोधित किया था।

प्रेमचन्द का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लमही गाँव में हुआ था। उनकी माता का नाम आनन्दी देवी था तथा पिता का नाम मुंशी अजायबराय था। प्रेमचन्द हिन्दी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक हैं। मूल नाम 'धनपतराय' वाले प्रेमचन्द को 'नवाबराय' और 'मुंशी प्रेमचन्द' के नाम से भी जाना जाता है। शिक्षा का आरंभ उर्दू, फारसी से हुआ और जीवनयापन का अध्यापन से पढ़ने का शौक उन्हें बचपन से ही लग गया। उन्होंने उस समय के समाज की जो भी समस्याएँ थीं उन सभी को चित्रित करने की शुरुवात कर दी थी। उसमें दलित भी आते हैं, नारी भी आती हैं। ये सभी विषय आगे चलकर हिन्दी साहित्य के बड़े विमर्श बने। प्रेमचन्द ने अपनी कला के शिखर पर पहुँचने के लिए अनेक प्रयोग किए। प्रेमचंद ने सामाजिक समस्याओं को अपने उपन्यासों में इसलिए महत्त्व दिया, क्योंकि महात्मा गांधी के अनुयायी होने के कारण वे अच्छी तरह समझ गए थे कि वे जो कुछ लिख रहे हैं वह स्वतंत्रता की लडाई को आगे बढाने तथा स्वराज्य की विजय को नजदीक लाने में अति महत्त्वपूर्ण है।

गांधीयुग की शुरूआत 1920 से मानी जाती है और इसी युग में प्रेमचंद के औपन्यासिक चेतना का विकास भी हुआ। 1925 से लेकर 1930 तक प्रेमचंद पूर्ण रुप से महात्मा गांधीजी पर आश्रित थे। गांधीजी से प्रभावित होकर प्रेमचंद ने 20 वर्ष पुरानी नौकरी छोड दी। 'रंगभूमि' में प्रेमचंद जहाँ गांधीवादी विचारों से पूर्ण रुप से प्रभावित हैं, वहीं 'गोदान' में गांधीवादी चिंतन से कुछ मोहभंग की स्थिति में दिखाई देते है। प्रेमचंद ने जिसे समय अपना साहित्यिक कार्य आरंभ किया, उस समय समाज परंपरागत रूढि-परम्पराओं, परंपरागत रीति-रिवाजों और गले-सडे संस्कारों से बुरी तरह जकडा हुआ था, जिसका विरोध महात्मा गांधीजी हमेशा अपने भाषणों से करते थे।

प्रेमचंद का उपन्यास 'रंगभूमि' पूँजिवाद के साथ-साथ जनसंघर्ष के बदलाव की महान गाथा है। सूरदास और सोफी इस उपन्यास के महत्त्वपूर्ण पात्र है। प्रेमचंद के उपन्यास 'रंगभूमि' में महात्मा गांधीजी द्वारा चलाए गए जन-आंदोलन को बडी व्यापक अभिव्यक्ति मिली है। इन्हीं बिंदूओं के आधार पर हम गांधी और प्रेमचंद के चिंतन का मूल्यांकन करेंगे।

प्रभाव :-

प्रेमचंद के साथ ही महात्मा गांधीजी राजनितिक मंच पर उपस्थित हुए। उन्होंने बडे व्यापक पैमाने पर समाज तथा व्यक्ति को उत्पीडित करने वाली राजनीतिक-सामाजिक-धार्मिक रुढियों के विरूद्ध जोरदार प्रहार आंदोलन चलाया। प्रेमचंद मानते थे कि गांधी जी के पदार्पण से भारत के राष्ट्रीय जीवन में सजीवन का विकास हो गया है। प्रेमचंद का साहित्य गांधीजी के व्यक्तित्व तथा विचारों से प्रभावित होने के कारण हिंदी साहित्य में इनके विरुध्द प्रतिक्रिया होने लगी थी। इसके साथ ही व्यक्तिगत सम्मान और राष्ट्रीय गौरव की तीव्र भावना का थोडा-बहुत आभास भी मिलने लगा था। प्रेमचंद एक जगह कहते हैं, "बहादुरो, जाओ नमक कानून तोडो। मैं भी जल्दी ही पहुँचता हूँ।"[1] गांधीजी से प्रभावित होते हुए भी प्रेमचंद ने गांधीवाद का अंधानुकरण किया हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई देता है।

स्वाधीनता-संग्राम की चेतना :-

प्रेमचंद का 'रंगभूमि' उपन्यास राष्ट्र के स्वाधीनता-संग्राम की व्यापक पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। देश की राजनीति में जो कार्य गांधीजी ने किया, वही कार्य साहित्य के क्षेत्र में प्रेमचंद के उपन्यास 'रंगभूमि' ने किया हुआ दिखाई देता है। गांधी चिंतन के अनुरुप ही प्रेमचंद 'रंगभूमि' में अपने नायक को ठोस दीवार की भाँति शत्रु सेना के समक्ष खडा कर देते हैं। 'रंगभूमि' का प्रमुख

Scanned with CamScanner

पात्र सूरदास किसी भी दलील को नहीं सुनता। वह अपने फैसले पर अडिग रहता है। सूरदास भीड को समझाने के लिए भेरों के कंधे पर ऊँची आवाज में कहता है, "मैं हाकिमों दिखा देता कि एक अंधा आदमी एक फौज को कैसे पीछे हटा देता है, तोप का मुँह कैसे बंद कर देता है, तलवार की धार कैसे मोड देता है। मैं धर्म के बल से लडना चाहता था..... ।"[2]

दलितोद्धार :-

भारत की सबसे बडी कमजोरी वर्ण-व्यवस्था तथा स्पृश्य-अस्पृश्य भेद का मानना है। इस युग में जाति-भेद का आधार जन्म को माना जाता था न कि कर्म एवं स्वभाव को। गांधीवादी विचारों को प्रेमचंद ने अपने साहित्य में स्थान दिया। उन्होंने दलितों की पीडा और शोषण का अनुभव किया। इसी समस्या से निपटने के लिए प्रेमचंद ने अंधे चमार 'सूरदास' को अपने उपन्यास 'रंगभूमि' का नायक बनाकर क्रांति का प्रारंभ किया। इस प्रकार प्रेमचंद ने सिद्ध करना चाहा है कि जन्म से जाति-निर्धारण नहीं होता बल्कि कर्म से होता है।

देशप्रेम :-

'रंगभूमि' उपन्यास मे इंद्रदत्त, सूरदास और विजय इन तीनों पात्रों के मृत्युवरण में गांधी का आदर्श ही झलकता है। गांधी जी के अनुसार, "देश के लिए मर जाना एक वीरतापूर्ण कार्य है। अत्याचारी का खून बहाने के स्थान पर अपना खूप बहाने वाला सत्याग्रही एक बहादुर ही नहीं बल्कि देवता स्वरूप होता है।"[3] 'रंगभूमि' का हीरो सूरदास भी यही कर दिखाता है। 'रंगभूमि' का नायक क्लार्क की गोली से घायल होकर नीचे गिर जाता है। सूरदास की अहिंसा, त्याग, बलिदान, दया आदि गुणों के सामने स्वयं राजा साहब भी नतमस्तक हो जाते है। गांधीजी ने भी स्वयं कहा है- "असहयोगी की सर्वोच्च स्थिति वह है, जब वह हिंसा को रोकने के प्रयत्न में अपने प्राण देता है।[4]"

गाँव की ओर चलो :-

प्रेमचंद गांधीवादी नारे 'Go To The Village' का समर्थन करते हुए तथा वकालत करते हुए कहते है कि, 'गांधीवादी जीवनदर्शन के अनुसार औद्योगिक व्यवस्था ने भारतीय संस्कृति की पुरानी संस्कृति की रीढ तथा ग्रामीण सभ्यता को नष्ट कर दिया है और उसके स्थान पर एक नई भौतिकवादी सभ्यता आ रही है। इसी सभ्यता का विरोध करते हुए । 'रंगभूमि' में 'जगधर' के माध्यम से प्रेमचंद ने कहा है, "दिहात-दिहात ही है, सहर, सहर ही। सहर में पानी तक तो अच्छा नहीं मिलता। वही बम्बे का पानी पिया, धरम जाए और कुछ स्वाद भी न मिले।"[5]

अखंडता और धार्मिक सौहार्द :-

महात्मा गांधीजी ने जीवनभर हिंदू-मुस्लिम ही नहीं भारत के सौहार्द के लिए हर धर्म की अखंडता की बात कही हैं। गांधीजी के कार्यों सबसे महत्त्वपूर्ण सांप्रदायिक एकता ही है। महात्मा गांधी सांप्रदायिक एकता का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहते है, "अटूट हार्दिक एकता न कि किसी कृत्रिम समझौते के फलस्वरुप हुई राजनीतिक एकता, धार्मिक कटुता और हिंसक वातावरण से रहित समाज।"[6] इसी एकता को प्रेमचंद ने 'रंगभूमि' उपन्यास का आधार बनाया है। सोफिया, जो कि इस उपन्यास की पात्रा है, विश्वधर्म में विश्वास रखती है। वहीं दूसरी तरफ वह ईसा मसीह तथा हिंदू-धर्म की अच्छाइयों की सराहना भी करती है। सोफिया किसी धर्म, संप्रदाय में बँधकर नहीं चलती। वह धर्म के मूल तत्त्व सत्य, अहिंसा, प्रेम, सेवा और त्याग को ग्रहण कर अपने मार्ग पर अग्रसर होती है। प्रेमचंद ने लिखा है कि, "धर्म और ज्ञान दोनों एक है और इस दृष्टि से संसार में केवल एक धर्म है, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, यहूदी ये धर्म नहीं हैं। भिन्न-भिन्न स्वार्थों के दल हैं, जिनसे हानि के सिवा आज तक किसी को लाभ नहीं हुआ।"[7] इस तरह धर्म-संबंधी विचारों में भी दोनों मे काफी हद तक साम्य है।

'ह्दय परिवर्तन' सिद्धांत :-

गांधीजी के 'ह्दय परिवर्तन' सिद्धांत का भी प्रेमचंद पर गहरा प्रभाव था। उनकी दृष्टि में सांप्रदायिकता एक पाप है, जिसका कोई प्रायश्चित नहीं। वे हिंदू और मुस्लिम दोनों को समान मानते थे।प्रेमचंद जी सच्चे अर्थों में मानवतावादी थे। वे धर्म के नाम पर होनेवाले झगडों के विरोधी थे। एक जगह वह कहते है, "चाहे कोई भी हो, मरते हैं तो तुम्हारे ही भाई बन्द न। तुम्हीं से निकलकर वे मुसलमान हुए हैं, और यह सब तुम्हारी मूर्खता का तावान है।"[8] हिंदू हो या मुस्लिम हो, दोनों ही एक राष्ट्र के पुत्र हैं। 'रंगभूमि' मे 'विजय' की जान बचाने के लिए एक मुसलमान सेवक अपनी जान दे देता है। तब इसी उपन्यास की पात्रा जाह्नवी

Scanned with CamScanner

कहती है कि "क्या कहा? मुसलमान है। कर्तव्य के क्षेत्र में हिंदू और मुसलमान का भेद नहीं, दोनों एक ही नाव में बेठे है, डूबेंगे तो दोनों डूबेंगे, बचेंगे तो दोनों बचेंगे।"[9]

स्वराज्य का चित्रण :-

प्रेमचंद के साहित्य में गांधीजी के अनुरुप ही स्वराज्य का चित्रण है। महात्मा गांधीजी का स्वराज्य का जूलूस निकालने के पीछे वास्तविक उद्देश्य लोगों की मनोवृत्ति बदलने का था। जिस दिन लोगों की मनोवृत्ति बदल जाएगी उसी दिन देश का स्वराज्य की प्राप्ति हो जाएगी ऐसा गांधीजी का मानना था। यही विचार स्वराज्य के प्रति प्रेमचंद के है। 'रंगभूमि' में स्वराज्य की गूँज सर्वत्र सुनाई देती है। वह इसे जन-जन में पहुँचाता है। प्रेमचंद के सभी आदर्श पात्र संघर्ष के लिए, स्वराज्य के लिए आगे बढते हैं और जी-जान से जूझते हुए कर्मपथ पर आगे बढते है। 'रंगभूमि' का सूरदास इन सबमें सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होता है। गांधीजी के अनुरुप ही स्पष्ट करते हुए प्रेमचंद लिखते है, "भारत के उद्धार का कोई उपाय है तो वह स्वराज्य है, जिसका आशय है -मन और वचन की पूर्ण स्वाधीनता।"[10]

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि, प्रेमचंद के उपन्यास 'रंगभूमी' पर गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। 'रंगभूमि' इस उपन्यास में हमें गांधीवाद विचारधारा की स्वराज्य का चित्रण, 'हृदय परिवर्तन' सिद्धांत, अखंडता और धार्मिक सोहार्द, गाँव की और चलो का नारा, देशप्रेम की भावना, दलितोद्धार का महत्त्वपूर्ण कार्य और स्वाधीनता-संग्राम की चेतना का अनुभव होता है। यह सारे सिद्धांत या विचार गांधीवादी है जिसका प्रभाव स्पष्ट रूप से रंगभूमि उपन्यास की कथावस्तु में परिलक्षित होते है।

संदर्भ ग्रंथ :-

१. प्रेमचंद घर में, शिवरानी देवी, पृ. क्र. 156
२. रंगभूमि, प्रेमचंद - पृ. क्र. 365
३. संपूर्ण गांधी वाड्:मय, भाग- 19, पृ. क्र. 91-92
४. वही पृ. क्र. 540
५. रंगभूमि, प्रेमचंद - पृ. क्र. 380
६. गांधी विचारधारा का हिंदी साहित्य पर प्रभाव, डॉ. अरविंद जोशी, पृ. क्र. 81
७. रंगभूमि, प्रेमचंद - पृ. क्र. 226
८. रंगभूमि, प्रेमचंद - पृ. क्र. 370
९. स्वातंत्र्योत्तर हिंदी साहित्य : गांधी चेतना, शैलबाला, पृ. क्र. 69
१०. वही पृ. क्र. 70

Scanned with CamScanner